International Journal of Social Research and Development
www.socialsciencejournal.net
Online ISSN: 2664-8709; Print ISSN: 2664-8695
Received: 05-10-2020; Accepted: 04-11-2020; Published: 19-11-2020
Volume 2; Issue 2; 2020; Page No. 32-34

भारत की विदेशी व्यापार नीतिः एक अध्ययन

डॉ. बलभद्र प्रसाद देवांगन[1], डॉ. पुष्पा देवांगन[2]
[1] प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, अशोका महाविद्यालय, उम्मेदपुर, सारंगढ, छत्तीसगढ़, भारत
[2] प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, के. पी. महाविद्यालय, बंधापाली, सारंगढ, रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत

सारांश
विश्व बाजारों ने भारत के निर्यातों की प्रतियोगी शक्ति बढ़ाने के लिए आधारभूत ढ़ाँचे में सुधार करने के प्रयास किये जाने चाहिए ताकि विदेशी तथा प्रौद्योगिकी का अर्न्तप्रवाह बढ़ सकें। पुरानी प्रौद्योगिकी को त्यागना होगा। उत्पादन लागत कम करनी होगी। गुणवत्ता में सुधार करके प्रतियोगी मूल्यों पर निर्यात करना होगा। देश के निर्यातक स्वतंत्र रुप से व्यापार संवर्धन करने इसके लिए अवराधों और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाना होगा।

मुख्य शब्दः विश्व बाजार, प्रौद्योगिकी, व्यापार नीति

भारत जैसे विकासशील देश की आर्थिक विकास में विदेशी नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यापार नीति का उद्देश्य देश के आयातों एवं निर्यातों में इस प्रकार संबंध स्थापित करना होता है, जिससे देश का संतुलित आर्थिक विकास हो और वह आत्मनिर्भर बन सकें। देश की आर्थिक प्रगति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति पर बहुत कुछ निर्भर करती है। देश में औद्योगिकरण एक सीमा तक देश में उत्पादित एवं आयतित पंजीगत वस्तुओं, तकनीकी ज्ञान, मशीनों, उपकरणों तथा अन्य वस्तुओं पर निर्भर करता है। साथ मे यह भी आवश्यक है कि देश का निर्यात व्यापार सतत वृध्दि की ओर अग्रसर हो।

विदेशी व्यापार नीति के उद्देश्य

1. देश में केवल आवश्यक वस्तुओं का ही आयात करना।
2. देश में निर्यात प्रोत्साहित करने वाले उद्योगों का विकास एवं विस्तार करना।
3. देश में उत्पादन के क्षेत्र में अतिरेक का सृजन करके निर्यात को बढ़ाना।
4. देश में आयात प्रतिस्थापना उद्योगों की स्थापना करके उनके लिए कच्चे माल आदि की व्यवस्था करना।
5. देश में उचित कीमतो पर वस्तुओं का सामान एवं न्यायपूर्ण वितरण करना।
6. देश में आयातों को सीमित कर निर्यातों को प्रोत्साहन तथा विस्तार करना।

प्रथम त्रिवर्षीय आयात निर्यात नीति (1985–88) आबिंद हुसैन समिति की अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार ने अप्रैल 1985 में प्रथम त्रिवर्षीय आयात नीति घोषित की। इस नीति की प्रमुख विशेषतांए एंव सिफारिशें इस प्रकार है–

1. निर्यात–आयात नीति में निरन्तरता व स्थिरता लाना।
2. जिन वस्तुओं का आयात करना आवश्यक है उनके उत्पादन में वृध्दि का प्रयास करना।
3. जो वस्तुएं अनिवार्य एवं विकास पूरक हों उनके आयात करना।
4. लाइसेंस में कमी करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 53 वस्तुओं के आयातों को उदार बनाया गया। जीवन रक्षक दवाइयां एवं उपकरण एक्सरे फिल्में व डाक्टरी पुस्तकें, टेलीप्रिंटर आदि का आयात स्वतंत्र कर दिया गया।

द्वितीय त्रिवर्षीय निर्यात–आयात नीति 1988–91 उद्देश्य

1. आयात प्रतिस्थापन एवं आत्मनिर्भरता में वृध्दि करना।
2. व्यापार नीति एवं प्रक्रिया को सरल एवं तर्क संगत बनाना।
3. प्रेरणाओं की गुणवत्ता एवं इनके प्रशासन में सुधार करने निर्यात संवर्धन हो नई शक्ति प्रदान करना नीति के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैः
    1. इस नीति में निर्यातकों को प्रथम बार बिन स्वदेशी उपलब्धि पर ध्यान दिये चुनी हुई पूंजीगत वस्तुओं के आयातों की अनुमति प्रदान की गई ।
    2. 26 मदों के आयातों को सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र कर दिया गया।

प्रथम पंचवर्षीय निर्यात–आयात नीति 1992–97

भारत सरकार ने पहली बार 31 मार्च 1992 में पांच वर्षीय निर्यात–आयात नीति घोषित की । इस नीति के अंतर्गत 8 वस्तुओं के आयात सरकारी अभिकरण द्वारा करने का प्रावधान रखा गया । इस नीति के अंतर्गत पूंजीगत वस्तुओं के आयातों को उदार बना दिया गया । विशिष्ट निर्यातों निर्यात घरानों एवं अन्य घरानों को भी विशेष आयात लाइसेंस की सुविधा दी गई।
तत्कालीन वाणिज्य मंत्री जी प्रणव कुमार मुखर्जी ने 30 मार्च 1994 को आयात निर्यात नीति को और अधिक उदार बनाने की घोषणा की। मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना जिसे दुरुपयोग के कारण बंद कर दिया गा था उसे पुनः जारी रखने की घोषणा की गई। शुल्क छूट योजना को और अधिक उदार बनाकर इसमें 3383 निर्यात मदों के निवेश विगत मानक निश्चित किये गये जो मार्च 1993 तक 2200 मदों के लिये ही थे।
द्वितीय पंचवर्षीय निर्यात–आयात नीति 1997–2002 नवीं पंचवर्षीय योजना की 1997–2002 की अवधि के लिए नई निर्यात आयात नीति 31 मार्च 1997 को घोषित की गई। इस नीति के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे–

1. विश्व बाजार में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयास करना।
2. देश की आर्थिक विकास की दर को स्थिर एवं निरंतर रखने के लिए आवश्यक कच्चे माल अर्ध्दनिर्मित माल, कलपुर्जे एवं पूंजीगत माल की व्यवस्था करना जिससे दीर्घकालीन आर्थिक विकास बिना विघ्न के होता रहे।
3. भारत की कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की प्रोद्योगिकी क्षमता एवं शक्ति के वृध्दि करना जिससे रोजगार के नये अवसर प्राप्त होकर प्रतियोगितात्मक शक्ति बढ़ सके और भारतीय माल की गुणवत्ता विश्व बाजार स्तर पर हो सकें।

1997–2002 की निर्यात–आयात नीति की मुख्य बातें।

1. **आयात उदारीकरणः–** आयातों की निषेध सूची में से 542 मदों के आयातों को उदार बनाया गया।
2. **निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजनाः–** पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क 15 से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया।
3. **शुल्क छूट योजनाः–** मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना तथा पासबुक योजना को समाप्त कर दिया गया तथा नई शुल्क अधिकार पास बुक योजना प्रारंभ की गई।
4. **कृषि क्षेत्र के निर्यातों को प्रोत्साहनः–** इस हेतु निर्यात घराने एवं व्यापार घराने के स्टेटस प्राप्त करने के लिए दुगने भार की घोषणा की गई।
5. **हीरा रत्न व आभूषणों के निर्यात को प्रोत्साहनः–** सोना, चांदी, प्लेटिनम के आभूषणों एवं उनसे बनी वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया।
6. **निर्यात संबंधी दायित्व अवधिः–** अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत निर्यात संबंधी दायित्व की अवधि 12 माह से बढ़ाकर 18 माह कर दी गई।
7. **अग्रिम लाइसेंस मूल्य सीमाः–** उत्पादन कार्यक्रम के आधार पर अग्रिम लाइसेंस की मूल्य सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी।
8. **सॉफ्टवेयर उद्योगः–** साफ्टवेयर उद्योग को निर्यात छूट हेतु डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के प्रयोग की अनुमति प्रदान की गई।
9. **आभाषिक निर्यात का लाभः–** खनिज तेल एवं गैस क्षेत्रों में भी विद्युत क्षेत्रों की तरह आभाषित निर्यात का साथ दिया गया।
10. **पांच वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंधः–** नई नीति में पर्यावरणीय सुरक्षा मानसिक महत्व सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा संबंधी कारणों से प्रतिबंध लगाया गया।

तृतीय पंचवर्षीय निर्यात–आयात नीति 2002–07

भारत सरकार ने 31 मार्च 2002 को 2002–07 के लिए नई आयात निर्यात नीति की घोषणा की। इस अवधि में भारत का निर्यात व्यापार 44.5 अरब डॉलर से बढ़ाकर 80 अरब डॉलर लगभग दुगना करने का लक्ष्य है । इस नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है–

1. निर्यातों में निरंतर वृध्दि करना ताकि व्यापार में भारत का भाग बढ़ाकर कम से कम एक प्रतिशत हो जाए।
2. उपलब्ध कच्ची सामग्री, अध्दनिर्मित माल एवं अवयव व पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन एवं सेवाओं में वृध्दि करने के लिए सुलभ करवाकर निरंतर आर्थिक विकास को प्रेरित करना।
3. भारती कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करते हुए उनकी प्रतिस्पर्धा शक्ति में सुधार करना।
4. अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर उपभोक्ताओं को कच्चा श्रेणी की वस्तुएं एवं सेवांए उपलब्ध करवाना तथा सभी घरेलू उत्पादकों के लिए सम अवसर क्रीड़ा क्षेत्र का सृजन करना।

इस नई नीति में कृषि उत्पादों के निर्यातों तथा कुटीर व हस्तशिल्प क्षेत्र पर विशेष ध्यान आकर्षित किया है। इस नीति में दो और योजनांए शामिल की गई है। कुटीर व हस्तशिल्प क्षेत्र पर विशेष ध्यान तथा औद्योगिक क्लस्टर टाउन्स के अंतर्गत आने वाले लघु उद्योगों के लिए योजना।

कृषिगत निर्यातों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता के लिए ''खेत के बंदरगाह दृष्टिकोण के लिए कृषिगत निर्यात क्षेत्र योजना व प्रस्तावित कृषिगत निर्यात नीति को माध्यम बनाया गया हैं।

कृषि क्षेत्र के लिए प्रमुख बातें निम्नानुसार है–

1. जूट व प्याज के अलावा सभी प्रकार के बीजों के निर्यात के प्रतिबंधों को समाप्त किया जायेगा।
2. कृषि क्षेत्र में विविधिकरण के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन के लिए परिवहन सहायता देना।
3. नई नीति में रुपया ऋण भुगतान योजना के अंतर्गत रुस को मक्खन, गेहूं, गेहूं उत्पाद, मोटे अनाज, मूंगफली तेल व काजू के निर्यात के लिए पैकेजिंग व पंजीकरण जैसे प्रतिबंध 31 मार्च 2002 से समाप्त करना।

वर्तमान योजनाओं में संशोधन

इस योजनाओं में जो संशोधन किये गये है उनका विवेचन इस प्रकार है।

1. **निर्यात वृध्दि के लिए राज्यों को संरचनात्मक विकास सहाताः** यह सहायता सकल निर्यातों के आधार पर तथा विभिन्न राज्यों से निर्यातों की वृध्दि की वृध्दि दर के आधार पर दी जाएगी।
2. **बाजार सुलभता उपक्रम योजनाः** यह योजना मार्च 2001 में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य विदेशों में उत्पादन का विपणन संवर्धन करना है।
3. **विशिष्ट सामरिक महत्व का पैकेजः** इस नीति में स्टेटस धारकों जिन्हें विदेशी व्यापार के महानिदेशक से निर्यात घराना, व्यापार घराना सिताप–व्यापार घराना की मान्यता मिल चुकी है। क निम्नलिखित विशिष्ट सुविधांए उपलब्ध कराई गई है–

a. आयात–निर्यात के लिए लाइसेंस प्रमाण पत्र अनुमति एवं चुंगी शुल्क निवासी अपनी घोषण के आधार पर होगी।
b. निवेश–निर्गत मानदण्डों का निर्धारण प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।
c. मध्यम एवं दीर्घकालीन पूंजी प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी।
d. स्वदेश मुद्रा भेजने की अवधि 180 से 360 दिवस कर दी गई।
e. विदेशी मुद्रा अर्जन का 100 प्रतिशत विदेशी मुद्रा अर्जकों के विदेशी मुद्रा खाते में रखने की छूट दी गई।

4. **विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र योजनाः** 31 मार्च 2000 में निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना घोषित की गई । इस नीति के अंतर्गत वर्तमान में विद्यमान चार निर्यातत संवर्धन क्षेत्रों के क्षेत्र में परिवर्तन किया गया और 13 नये क्षेत्र (विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र) का अनुमोदन किया गया।
5. **शुल्क रियायत योजनाः** निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक निवेशों के आयात करने के लिए उत्पादकों को समर्थ बनाया जाता है।
6. **शुल्क पात्रता पास बुकः**
   a. सभी प्रकार के निर्यातों के लिए शुल्क पात्रता पासबुक की न्युनतम दर होगी।
   b. मूल्य आवरण की छूट जारी रहेगी।
   c. मिश्रित मदों पर क्म्छ्ठ की न्युनतम दर लागू होगी।

7. **पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन योजनाः** इस योजना में निम्न प्रकार का संशोधन किया गया–

1. 150 करोड़ या इससे अधिक मूल्य के पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन योजना लाइसेंस के लिए निर्यात दायित्व की अवधि 12 वर्ष होगी एंव विलंबन अवधि 12 वर्ष होगी।
2. इस योजना की निर्यात योजनांतर्गत पुराने वस्तु के पूर्व में किये गये आयातों के लिए निर्यात दायित्व के पुर्ननिर्धारण की अनुमति प्राप्त होगी।
3. औद्योगिक एवं वित्तीय पुननिर्माण मंडल की इकाइयों के निर्यात के लिए अतिरिक्त समयावधि दी जाएगी।

अतः विश्व बाजारों ने भारत के निर्यातों की प्रतियोगी शक्ति बढ़ाने के लिए आधारभूत ढ़ाँचे में सुधार करने के प्रयास किये जाने चाहिए ताकि विदेशी तथा प्रौद्योगिकी का अर्न्तप्रवाह बढ़ सकें। पुरानी प्रौद्योगिकी को त्यागना होगा। उत्पादन लागत कम करनी होगी। गुणवत्ता में सुधार करके प्रतियोगी मूल्यों पर निर्यात करना होगा। देश के निर्यातक स्वतंत्र रुप से व्यापार संवर्धन करने इसके लिए अवराधों और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाना होगा।

संदर्भ सूची

1. अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एवं वित्त, डॉ. रामरतन शर्मा
2. अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, डॉ.जी.सी.सिंघई।
3. अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र/जयप्रकाश।